JALAUN POLICE

दिनांक – 16.04.2026

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु अपर पुलिस महानिदेशक महोदय, कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक महोदय, झांसी परिक्षेत्र, झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी फलस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा विचारण के बाद 02 अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय द्वारा 07 वर्ष का कारावास एवं प्रत्येक अभियुक्त को 7,500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्तगण का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण- अभियुक्तगण 1. रमनदीप सिहं उर्फ सन्नी पुत्र विजेन्द्र सिंह नि0 सेवक पार्क द्वारिका नई दिल्ली 2. करूणेश शर्मा पुत्र बृजेन्द्र शर्मा नि0 ओल्ड माधवनगर सहारनपुर उत्तर प्रदेश द्वारा वित्त संस्था खोलकर रूपये जमा करवा लेना तथा धोखाधड़ी करके फर्जी एफ.डी. आदि प्रपत्र तैयार करके दे देने के संबन्ध में वादी की तहरीर के आधार पर दिनांक 18.06.15 को कोतवाली उरई पर मु0अ0सं0 1809/2015(वाद संख्या 1807/16) धारा 420/467/468/471 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था। कोतवाली उरई पुलिस द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा विवेचक द्वारा प्रभावी साक्ष्य संकलन व गवाहो के बयान अंकित करते हुए वैज्ञानिक तरीके से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध दिनांक 22.05.2017 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 16.04.2026 को मा0 न्यायालय सीजेएम कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्तगण रमनदीप, व करूणेश शर्मा उपरोक्त को दोषी पाते हुए 07 वर्ष का कारावास एवं प्रत्येक अभियुक्त को 7,500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।